संख्या- 10/964/बयालिस-2018-11(बजट)/2018

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2018**

विषय :- वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में छात्रावास भवन के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 59/नि0स्पो0का0गोरखपुर पत्रा/2018-19, दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर में छात्रावास भवन के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 849.73 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि रू0 789.35 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष- 2018-19 में नयी मांग के माध्यम से अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक-4202-03-800-24-वृहत निर्माण कार्य मद में मद संख्या- 61-वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर-6108-छात्रावास भवन का निर्माण में प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुकत करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षत अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के अध्याय- 12 के प्रस्तर- 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2)- कार्य की विशिष्टियां मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5)- निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यक्तानुसार कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7)- प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उततरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(8)- प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे :- नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10)- निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों के गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानिटरिंग भी किया जायेगा।

(11)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12)- प्रश्नगत स्वीकृति बजट एवं परिव्यय के सीमान्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

(13)- लेबर सेस/जी0एस0टी0 के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(14)- निदेशक, खेल द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 2(11)(क) के अनुसार निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही कार्यदायी संस्था को निर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(15)- प्रायोजनान्तर्गत यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य स्रोत्र में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(16)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के प्रस्तर- 7 में उल्लिखित परियोजनाओं में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा वित्त (आरू-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1/375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17)- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 में अंकित शर्तों एवं निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(18)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर- 11 के उपप्रस्तर- (ग) के बिन्दु- (ब) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार निर्गत प्रथम किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर दूसरी किश्त अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2018-19 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक '' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-61-वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज, गोरखपुर-6108-छात्रावास भवन का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या- ई-5-875/दस-2018, दिनांक : 29 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 964(1)/बयालिस-2018-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
(5)- प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पर्टस कालेज, गोरखपुर।
(6)- सचिव, प्रबन्ध समिति, स्पोर्टस कालेजेज सोसाईटी, लखनऊ।
(7)- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड) लखनऊ।
(9)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1
(10)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(11)- नियोजन अनुभाग- 4
(12)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।